

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-06/2006

/कृ०, पटना, दिनांक

अगस्त, 2015.

प्रेषक,

बी० कार्तिकेय, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री शशांक भूषण,
मेसर्स ईसाग्रो (एशिया) एग्रो केमिकल्स प्रा० लि०,
द्वारा-श्री अम्बिका सेल्स कॉरपोरेशन C-149,
मौर्यालोक कॉमलेक्स, पटना।

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-67-68 दिनांक 30.04.2001 वैधता तिथि 31.12.2015 में इन्डोर्समेन्ट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के तहत स्वनिर्मित निम्नांकित कीटनाशियों का कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-67-68 दिनांक 30.04.2001 वैधता तिथि 31.12.2015 में इन्डोर्समेन्ट किया जाता है।

क्र० सं०	कीटनाशी का नाम
1	Acetamiprid 20% SP
2	Fenvalerate 20% EC
3	Glyphosate 41% SL
4	Phenthoate 50% EC
5	Copper Oxychloride 50% WP
6	Tetraconazole 3.8% EW
7	Thiamethoxam 25% WG
8	Imidacloprid 70% WG
9	Validamycin 3% L
10	Buprofezin 25% SC
11	Deltamethrin 11%EC
12	Carbendazim 12%+mancozeb 63% WP
13	Profenofos 40%+Cypermethrin 4% EC
14	Bifenthrin 10% EC
15	Fipronil 5% SC
16	Pendimethalin 30% EC
17	Chlorpyrifos 50%+ Cypermethrin 5% EC
18	Emamectin Benzoate 5% SG
19	Metribuzine 70% WP
20	Deltamethrin 1%+Triazophos 35% EC

2-उपरोक्त कीटनाशियों का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा- मेसर्स ईसाग्रो (एशिया) एग्रो केमिकल्स प्रा० लि०, द्वारा-श्री अम्बिका सेल्स कॉरपोरेशन, H/O श्री राजकिशोर सिंह, कीर्ति पेट्रोल पम्प के सामने करमलीचक, बाईपास रोड, पटना-09

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/ भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी0 के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(बी0 कार्तिकेय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

4251

/कृ0, पटना, दिनांक 31 अगस्त, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्प) उत्पादन बिहार, पटना/सहयक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।